

प्रारूप-1

कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

रा.प्र.क्र. 341/अ-82/2021-22

सूरजपुर दिनांक- 12/01/2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,
2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
सूरजपुर	रामानुजनगर	रामानुजनगर	0.1531 हे0	संयुक्त रेल लाइन परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10.02.2022 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से (स्थान) ग्राम पंचायत भवन रामानुजनगर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

कण्डिका	विवरण
एक-लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	रेलवे लाइन निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	04
तीन-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	0
चार-प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	0
पांच-प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	0
छ:- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ- परियोजना की कुल लागत	रुपये 285/- करोड़
नौ-परियोजना से होने वाला लाभ	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा
ग्यारह- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


अधीक्षक (रा.)
एवं भूमि अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)


कलेक्टर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)